

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत प्रकाश प्रसाद पिता रामचंद्रा प्रसाद और उमेश कुमार पिता केशवरी सव निवासी ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:आरा,कुंडी और सराधु थाना सं: 55, 27 & 29, (रैयाती)खाता सं. 132, 4 & 254 के अधीन प्लॉट सं. 344, 345, 354, 376, 389, 472, 689, 842, 973, 1014, 1422, 22, 25, 28, 56, 58, 185, 145, 162, 311, 205, 247, 317, 227, 352, 107, 144(P), 107 और 677 कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/ndsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है , तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:आरा,कुंडी और सराधु थाना सं: 55, 27 & 29, (रैयाती)खाता सं. 132, 4 & 254 के अधीन प्लॉट सं. 344, 345, 354, 376, 389, 472, 689, 842, 973, 1014, 1422, 22, 25, 28, 56, 58, 185, 145, 162, 311, 205, 247, 317, 227, 352, 107, 144(P), 107 और 677 कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत प्रकाश प्रसाद पिता रामचंद्रा प्रसाद और उमेश कुमार पिता केशवरी सव निवासी ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।